सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 वैशाख, 1940 (श०)

संख्या- 443 राँची, मंगलवार, 24 अप्रैल, 2018 (ई०)

योजना-सह-वित्त विभाग

(योजना प्रभाग)

संकल्प

23 अप्रैल, 2018

विषय: **15 वें वित्त आयोग हेतु राज्य का ज्ञापन तैयार करने के लिये मनोनयन के आधार पर Ernst and Young (EY) की सेवा के संबंध में ।**

संख्या-उ०स०/वि०/22/17-457-- केन्द्र सरकार द्वारा वित्त आयोग के माध्यम से राज्यों के बीच केन्द्रीय संसाधनों के वितरण की नितियां निर्धारित की जाती है । **15**वें वित्त आयोग के समक्ष राज्य के समेकित एवं त्वरित विकास के लिए संसाधनों के अंतरण हेतु समुचित दावा तार्किक रुप से प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, जिसे तैयार करने के लिए विषय वस्तु विशेषज्ञ की सेवाओं की आवश्यकता है ।

2. **15**वें वित्त आयोग की आगामी बैठक अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित है, जिसके पूर्व राज्य सरकार के दावों को ज्ञापन के रुप में तैयार कर आयोग को उपलब्ध कराना है, ताकि राज्य सरकार को यथोचित वित्तीय अन्तरण/सहायता प्राप्त हो सके ।

3. इस परिपेक्ष्य में परामर्शी संस्था **Ernst and Young (EY)** की सेवा मनोनयन के आधार पर प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है ।

4. **15**वें वित्त आयोग के निर्धारित **Terms of Reference** के आधार पर तैयार किया गया **Scope of Work** परिशिष्ट **"A"** अनुलग्नित है । परिशिष्ट **"A"** में अंकित कंडिका **3** के क्रमांक-**1, 2,** एवं **3** की सेवा का कॉलम-**5** में अंकित माहों के बाद स्वतः समाप्त हो जायेगी । क्रमांक-**4** एवं **5** की सेवा राजकोषीय अध्ययन संस्थान **(CFS)** के लिए ली जायेगी एवं आवश्यकतानुसार इनकी सेवा-विस्तार **CFS** के द्वारा की जायेगी ।

5. **Ernst and Young (EY)** द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं पर कुल **57-00** (सन्तावन) लाख रू० का व्यय संभावित है ।

6. परामर्शी सेवा हेतु **Ernst and Young (EY)** के भुगतान से संबंधित व्यय का आहरण राज्य स्कीम (विस्तृत), निकासी मांग सं०- **35,** योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग) बजट मुख्य शीर्ष- **2053-** जिला प्रशासन, लघु शीर्ष-**796-** जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-**42-** झारखण्ड राज्य राजकोषीय अध्ययन तथा सुधार संस्थान की स्थापना, **State Scheme-Establishment of Jharkhand State Institute of Fiscal Studies and Reforms (1580),** विस्तृत शीर्ष-**07**-अन्य व्यय-**59-** अन्य व्यय विपत्र कोड- **35S205300796420759** से वित्तीय वर्ष **2018-19** में विकलनीय होगा ।

7. उपरोक्त पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक **18 अप्रैल, 2018** की बैठक में मद संख्या-**2** के तहत् स्वीकृति प्राप्त है ।

ह०/-

सुखदेव सिंह,

अपर मुख्य सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 443 -- 50